# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :–** 4989/2022 **(जोधपुर बैंच अपील सं.–355/2008)**

मिनाक्षी कुमारी मीणा **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अति. निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राज. जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।
4. सरिता, नर्सिंग ऑफिसर, सीएचसी, चिराना, जिला झुंझुनू।

**–प्रत्यर्थीगण**

**आदेश की दिनांक** : 11.08.2023

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री सुमेर सिंह, अधिवक्ता।

**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री हेमन्त धारीवाला, राजकीय अधिवक्ता।

**निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से** :श्री सुर्यप्रकाश, अधिवक्ता।

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थीया ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थीया की नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सीएचसी, चिराना, झुंझुनू में कार्यरत था। आलौच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 के द्वारा अपीलार्थीया का स्थानांतरण सीएचसी चिराना, झुंझुनू से सीएचसी लोहावट, जिला जोधपुर में किया गया है।
2. अपीलार्थीया ने पूर्व में आदेश दिनांक 22.07.2022 की पालना में सीएचसी चिराना, झुंझुनू में कार्यग्रहण कर लिया था। वर्तमान में आलौच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 केवलमात्र 1 माह 13 दिवस की अल्प अवधि में अपीलार्थीया का पुनः स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत इस अपील में अधिकरण द्वारा दिनांक 22.09.2022 को अंतरिम स्थगन आदेश पारित कर स्थानांतरण आदेश दिनांक 03.09.2022 की क्रियान्विति अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किये थे और यह भी स्पष्ट किया था कि अपीलार्थीया को वहीं कार्यरत रखा जावे, जहां उसे चुनौती आदेश जारी किये जाने से पूर्व कार्यरत थी।
3. निजी प्रत्यर्थी संख्या 4, सरिता की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है एवं पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंतरिम स्थगन आदेश को स्थगित किये जाने की प्रार्थना भी की गई है।
4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. दोनों पक्षकारों को अंतिम रूप से सुना गया। निजी प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि आदेश दिनांक 22.07.2022 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन सीएचसी चिराना, झुंझुनू में किया गया था, वह निजी प्रत्यर्थी के स्थान पर किया गया है। निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण कहीं अन्य जगह नहीं किया गया था। बाद में प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 03.08.2022 को निजी प्रत्यर्थी सरिता को सीएचसी, चिराना, झुंझुनू में रखे जाने के आदेश दिये हैं। इस प्रकार निजी प्रत्यर्थी को सीएचसी चिराना में ही रखा गया और अपीलार्थी का स्थानांतरण आलौच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 के द्वारा सीएचसी, चिराना, झुंझुनू से सीएचसी, लोहावट, जिला जोधपुर किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि सीएचसी, चिराना झुंझुनू में निजी प्रत्यर्थी कार्यरत है और उक्त पद रिक्त नहीं है।
6. दोनों पक्षों द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वर्तमान में निजी प्रत्यर्थी सरिता, जो पूर्व में सीएचसी, चिराना, झुंझूनू में कार्यरत थी, उसके स्थान पर अपीलार्थीया के पदस्थापन के पश्चात निजी प्रत्यर्थी को ही पुनः सीएचसी, चिराना, झुंझूनू में पदस्थापित किया गया है और अपीलार्थी को 1 माह 13 दिवस में पुनः अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। इस प्रकरण में अपीलार्थी के पक्ष में अंतरिम स्थगन आदेश पारित होने पर वर्तमान में सीएचसी, चिराना, झुंझूनू में अपीलार्थी और निजी प्रत्यर्थी दोनों ही कार्यरत हो गई है। ऐसी स्थिति में एक पद पर दो व्यक्ति कार्यरत है। उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए दोहरे पदस्थापन के निवारण हेतु प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि वो अपीलार्थी मिनाक्षी कुमारी एवं निजी प्रत्यर्थी सरिता के पदस्थापन के संबंध में नये सिरे से नियमानुसार आदेश पारित करें।
7. इस आदेश की पालना के लिए दो माह का समय प्रदान किया जाता है। इस आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य(न्यायिक)**